सार-समाचार

जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

सीकर, (निसं)। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय सीकर द्वारा मंगलवार को अन्तर्राष्ट्रीय ई-कचरा दिवस के अवसर पर कार्यालय प्रांगण में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ई-कचरे के उचित निस्तारण के महत्व, मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर इसके दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान जिले के निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों के लिए कार्यशाला आयोजित कर ई-कचरा प्रबंधन एवं निस्तारण की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। अन्तर्राष्ट्रीय ई-कचरा दिवस के अवसर पर कार्यालय द्वारा 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2025 तक सीकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आमजन में जागरूकता हेतु ई-रिक्शा अभियान प्रारंभ किया गया, जिसके माध्यम से नागरिकों को ई-कचरे के सुरक्षित संग्रहण, निस्तारण एवं पुनर्चक्रण के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसी अवधि में विभिन्न विद्यालयों, छात्रावासों एवं कोचिंग संस्थानों में चित्रकला, निबंध एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाएँगी, जिनका उद्देश्य विद्यार्थियों में ई-कचरा प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस अवसर पर क्षेत्रीय अधिकारी सविता चौधरी ने कहा कि ई-कचरा आज वैश्विक स्तर पर एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है, जिसका पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे ई-कचरे का उचित निस्तारण करें एवं इसके प्रति समाज में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाएँ ताकि स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण का निर्माण किया जा सके।

प्रधानमंत्री निःशुल्क सूर्य ग्रह योजना के तहत 65 आवेदन आएं

राजलदेसर (निसं)। राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे स्वायत्त शासन विभाग द्वारा आयोजित शहरी सेवा शिविर अन्तर्गत वार्ड वाईज चल रहे अभियान के तहत् पालिका परिसर में ही पालिका क्षेत्र के वार्ड नं. 01 से 35 के लिए पालिका के श्री कुन्दन देथा अधिशाषी अधिकारी के निर्देशन में शहरी सेवा शिविर 2025 कैम्प का आयोजन किया गया। कैम्प में वार्ड वासियों की समस्याओं का हल किया गया। कृषि भूमि 01 आवेदन, जन्म के 09, विवाह प्रमाण पत्र के 02 प्रधानमंत्री आवास योजना के 5 आवेदनो का निस्तारण, पेंशन योजना के 02, जन आधार 4 आवेदन, आधार सीडिंग के 15 आवेदन, स्ट्रीट लाईट 5, साफ-सफाई के 2 आवेदनो का निस्तारण किया गया। तथा इस शिविर में राजकीय चिकित्सालय राजलदेसर के डॉक्टर मोहर सिंह लाम्बा व अमित के द्वारा 04 मरीजों के स्वास्थ्य को चैक किया गया, बिजली विभाग द्वारा पी.एम.सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के 62 आवेदन लिये गये पी.एम. स्वनिधि के 02, आंगन बाडी स्वास्थ्यकर्ता द्वारा 6 आवेदनो को निस्तारण किया गया। इस दौरान पालिका के अंकित कनिष्ठ अभियन्ता, फायरमैन हुकुम सिंह, फायरमैन अर्जुन सिंह एसबीएम के दिलीप सोलंकी एमआइएस इंजिनियर, चन्दन बारी, पायल नाई, महेन्द्र कुमार भार्गव, प्रेमरतन, महेन्द्र मारू, लोकेश शर्मा, निर्मल, जसवन्त कुमार , राजकुमार, मनोज कुमार, महिपाल व गोविन्द कर्मचारी इस कैम्प में उपस्थित रहे।

समन्वय समिति बैठक आयोजित

लक्ष्मनगढ शेखावाटी (निसं)। उपखंड अधिकारी कार्यालय में ब्लॉक स्तरीय समन्वय समिति की बैठक उपखंड अधिकारी मोहर सिंह मीणा की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिसमें मुख्य रूप से टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 3.0 (9 अक्टूबर 2025 से 8 दिसम्बर 2025) के सफल क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत परिचर्चा हुई, इसी क्रम में कुछ महत्व पूर्ण निर्देश देते हुए उपखण्ड अधिकारी मोहर सिंह मीणा द्वारा सभी संबंधित विभागों जैसे- पुलिस विभाग, राजस्व,स्थानीय निकाय विभाग (नगर पालिका), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग,महिला एवं बाल विकास विभाग एवं अन्य विभाग के प्राधिकृत अधिकारियों को कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने वालों के चालान काटने, सोशल मीडिया/प्रिंट मीडिया के माध्यम से आमजन को तंबाकू उत्पादों के दुष्प्रभावों के सम्बन्ध में ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने, सभी सरकारी संस्थानों (सरकारी कार्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों, विद्यालयों/शिक्षण संस्थानों शिक्षण संस्थानों की बाहरी बाउंड्री से 100 गज के दायरे का चिन्हीकरण), आंगनवाडी केंद्रों, पंचायत मुख्यालयों को तम्बाकू मुक्त रखने व 100 गज में तम्बाकू उत्पाद विक्रय के निषेध नियम की पालना एवं सभी ग्राम पंचायतों को जनप्रतिनिधियों के सहयोग से तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत घोषित करने की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया।

श्रीमद्‌भागवत कथा आयोजित

चूरू (निसं)। स्थानीय दादाबाडी में भजनलाल, लक्ष्मीनारायण पीपलवा के सौजन्य से चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में मंगलवार को सुदामा चरित्र के प्रसंग का वर्णन किया गया। इस दौरान कथा वाचक हरिशरण महाराज ने कहा कि सच्चा मित्र वही होता है, जो संकट की घड़ी में मित्र के साथ खड़ा हो। उन्हांने कहा कि जब भी मित्र पर कोई विपदा आये, तो उस समय एक सच्चा मित्र ही उसके साथ खड़ा रहता है। उन्होंने कहा कि आपको भगवान श्रीकृष्ण और सुदामा की मित्रता से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी मित्रता निःस्वार्थ थी। उसमें स्वार्थ का कोई भाव नहीं था। श्रीकृष्ण द्वारिकाधीश थे, जबकि सुदामा निर्धन परिवार से थे। उनमें कोई समानता नहीं थी, परंतु इसके बावजूद उनकी मित्रता का उदाहरण आज भी आपको हर जगह देखने को मिल जाता है। जीवन में सच्चे मित्र का होना आवश्यक है। अच्छे मित्र हमेशा सुख-दुख में काम आते हैं। मित्रता में अमीरी-गरीबी कोई माईने नहीं रखती। हर व्यक्ति को भगवान श्रीकृष्ण और सुदामा की पवित्र मित्रता से सीख लेनी चाहिए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिला-पुरुष उपस्थित थे।

33 मरीजों के लैंस प्रत्यारोपण हुए

सुजानगढ (कासं)। द यंग्स क्लब ऑफ द्वारा बेंगलुरु प्रवासी सुजानगढ निवासी कमलेश भरत डूंगरवाल के सौजन्य से आयोजित निःशुल्क नेत्र लेंस प्रत्यारोपण शिविर का समापन मंगलवार को हुआ। क्लब के सांस्कृतिक सचिव गिरधर शर्मा ने बताया कि उक्त शिविर में 33 नेत्र रोगियों के लेंस प्रत्यारोपण नेत्र रोग विशेषज्ञ डा.अपूर्व कोटिया द्वारा डॉ मोहन जैन आई हॉस्पिटल सुजानगढ में निःशुल्क किए गए, ऑपरेशन हुए रोगियों को निःशुल्क दवा दी गई। क्लब अध्यक्ष निर्मल कुमार भूतोडिया की प्रेरणा से आयोजित हुए उक्त शिविर के समापन अवसर पर डॉ अपूर्व कोटिया, गजानंद जांगिड, क्लब प्रतिनिधि समाज सेवी कमला सिंघी, दानमल शर्मा, गोपाल चोटिया, गिरधर शर्मा, हाजी मोहम्मद उपस्थित थे।

धोखाधड़ी के दो आरोपी गिरफ्तार

सुजानगढ (कासं)। धोखाधडी के एक मामले में कोतवाल थाना पुलिस ने दो जनों को गिरफ्तार किया है। शहर कोतवाल बेगाराम मीणा ने बताया कि दो माह पूर्व लाडनूं तहसील के बल्दू गांव निवासी भंवरलाल जाट रिपोर्ट देकर बताया कि आरोपियों ने काम दिलाने के नाम पर दो लाख पचास हजार रूपए की डिमांड की थी। जिस पर में दस लाख रूपए लेकर गया तो आरोपी दस लाख रूपए लेकर फरार हो गए। इस प्रकरण में पुलिस ने आसिफ पुत्र सदीक खां निवासी ड्रीम लाईट सिनेमा हॉल के पीछे, मो.साहिल पुत्र ज्यान मोहम्मद वार्ड 57 सुजानगढ को गिरफ्तार किया है। इस प्रकरण में इलियास खां उर्फ बाबू पुत्र गफूर खां निवासी डीडवाना को पुलिस पहले गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपियों को गिरफ्तार में सहायक उप निरीक्षक तेजाराम, एचसी जगदीश, कांस्टेबल विक्रम का अहम रोल रहा।

पांच दिवसीय महोत्सव कल से

चिड़ावा, (निसं)। दीपावली पर्व के उपलक्ष में श्रीपीठ महालक्ष्मी धाम में पांच दिवसीय महालक्ष्मी महोत्सव का शुभारंभ 16 अक्टूबर को होगा। धाम के प्रवक्ता गोपाल महमिया एवं तेजप्रकाश सोनी ने बताया कि महोत्सव का आरंभ धाम के पीठाधीश वाणीभूषण प्रभुशरण तिवाडी के सानिध्य में सिद्धि विनायक पूजन से किया जाएगा। वहीं 17 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से महालक्ष्मी महायज्ञ आरंभ होगा। इसी के साथ 18 अक्टूबर को दोपहर दो बजे महायज्ञ संपन्न होगा। इसी दिन दोपहर तीन बजे से श्रद्धालुओं को कुबेर कलश एवं महालक्ष्मी यंत्र का वितरण किया जाएगा। महोत्सव के अंतिम दो दिन 19 और 20 अक्टूबर को महालक्ष्मी श्रृंगार एवं दर्शन कार्यक्रम आयोजित होंगे।

देवनानी आज आएंगे खाटूश्यामजी

सीकर (निसं)। विधानसभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी बुधवार को खाटूश्यामजी आएंगे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार ने बताया कि विधानसभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी 15 अक्टूबर 2025 बुधवार को अजमेर से प्रातः 11 बजे प्रस्थान कर दोपहर 2 बजे खाटूश्यामजी सीकर पहुंचेंगे तथा मंदिर में पूजा-दर्शन करेंगे। विधानसभाध्यक्ष देवनानी खाटूश्यामजी से अपरान्ह 3 बजे जयपुर के लिए प्रस्थान कर जायेंगे।

15000 महिला किसानों को सरसों बीज मिनीकिट बांटे

- महिला किसानों को मिलेगा लाभ, अधिकृत किस्मों से बढ़ेगा सरसों उत्पादन

सीकर (निसं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों के उत्थान एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों, विशेषकर महिला कृषकों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के कृषकों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

संयुक्त निदेशक कृषि प्रिया झाझडिया ने बताया कि जिले में 15000 महिला कृषकों को निःशुल्क सरसों बीज मिनीकिट वितरण किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार किसानों की आय में वृद्धि और कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि महिला कृषक कृषि क्षेत्र में बदलाव की धुरी हैं, इसलिए उन्हें सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने महिला कृषकों से अधिकृत किस्मों के बीज का उपयोग कर उच्च उत्पादन प्राप्त करने और विभाग द्वारा दी जा रही तकनीकी सहायता का अधिकतम लाभ लेने का आव्हान किया।

संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) प्रिया झाझडिया ने बताया कि सरसों फसल की प्रति बीघा उत्पादन दर एवं उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से जिले की 15000 महिला कृषकों को निःशुल्क सरसों बीज मिनीकिट वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वितरण प्रक्रिया जन आधार कार्ड के माध्यम से राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन की जा रही है, जिससे पारदर्शिता एवं त्वरित लाभ सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पात्र महिला कृषक को दो किलोग्राम सरसों बीज का मिनीकिट निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। चयनित कृषकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमांत वर्ग की महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है, और महिला कृषकों की सक्रिय भागीदारी से यह अभियान अधिक सफल सिद्ध होगा।

महत्वपूर्ण बैठक 31 अक्टूबर को

झुंझुनूं, (निसं)। प्रधान संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ सरकार की एक महत्वपूर्ण बैठक 31 अक्टूबर को जयपुर में होगी। प्रधान संघ दिनेश सुंडा को पंचायतीराज विभाग के संयुक्त निदेशक फूल सिंह मीणा ने पत्र भेजकर इस बैठक के लिए सूचित किया है।

सुंडा ने बताया कि 31 अक्टूबर को दोपहर तीन बजे सचिवालय में पंचायतीराज विभाग के कांफ्रेंस हॉल में बैठक होगी। जिसमें वे और प्रधान संघ के पांच प्रतिनिधि शामिल होंगे।

उन्होंने बताया कि लंबे समय से पंचायतीराज जनप्रतिनिधियों में पंच से लेकर जिला प्रमुख तक की विभिन्न समस्याओं के बारे में सरकार को अवगत करवाया गया था। प्रधानों और अन्य जनप्रतिनिधियों की मांगों के साथ-साथ पंचायतीराज को मजबूत बनाने की दिशा में भी सरकार को सुझाव दिए गए थे।

सार-समाचार

राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा

सादुलपुर, (निसं)। डॉ.अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन (अजाक) के प्रदेशव्यापी आ ान पर अजाक शाखा राजगढ जिला चूरू द्वारा राष्ट्रपति के नाम स्थानीय तहसीलदार को भारत के मुख्य न्यायाधीश की ओर एक वकील द्वारा जूत्ता उछालने के विरोध में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में जाति आधारित सामाजिक सौहार्द को बिगाडने वाले व्यक्तियों और संगठनों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई तथा इस बात का विरोध किया गया कि जब भारतीय न्याय के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की गरिमा पर इस प्रकार की घिनौनी हरकत की गई तो फिर आमजन की न्याय के प्रति क्या शाख है। ज्ञापन के दौरान ब्लॉक अध्यक्ष सहीराम मेहरा, रामकुमार धानिया, चंद्रभान गोठवाल, सुरेंद्र सिंह बौद्ध, गजेंद्र सिंह बौद्ध, अजय बौद्ध, देवीलाल रंगा, किरण भाटी, तेजपाल बाडेटिया, नत्थू राम खत्री,संजय आलडिया, मोहन कुरैशी, ब्रह्मानंद मेहरा, आनंद ओलानिया, सुभाष बागौत, अनीश, राकेश गोठवाल, रतन कुमार सोलडा आदि सदस्य उपस्थित रहे।

चोरी की छह बकरियां जब्त

खिरोड़, (निसं)। चिराना में उदयपुरवाटी रोड पर गिरीराज कॉलोनी के सामने कच्चे रास्ते पर जमा कीचड में एक स्विफ्ट गाडी फंस गई। जिसको मौके पर ही गाड़ी चालक छोड़कर भाग गए। वहां मौजूद ग्रामीणों ने जाकर देखा तो गाड़ी में एक व गाड़ी कि डिग्गी में से पांच बकरियों को बाहर निकाला। सभी बकरियों के मुंह पर टेप चिपकाकर बंद किया हुआ था। ग्रामीणों की सूचना पर गोठडा थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। गाडी की तलाशी में दो अलग-अलग नम्बर प्लेट भी मिली है। आस-पास के ग्रामीणों ने बताया कि काफी समय से बकरी चोरी करने वाला गिरोह इस क्षैत्र में सक्रिय हो रखा था। इस इलाके में काफी बकरियां चोरी हुई थी। मगर आज तक उनका पता नहीं चल पाया है।

जिले के प्रभारी मंत्री आज सीकर आएंगे

सीकर, (निसं)। वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री एवं सीकर जिले के प्रभारी मंत्री संजय शर्मा 15 अक्टूबर को सीकर आएंगे।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार ने बताया कि जिले के प्रभारी मंत्री शर्मा अलवर से प्रातः7 बजे प्रस्थान कर प्रातः 11 बजे सीकर पहुंचेंगे तथा राजकीय विज्ञान महाविद्यालय सबलपुरा में मनसुख रणवा मनु स्मृति संस्थान सीकर द्वारा आयोजित मनसुख रणवा स्मृति वाटिका के लोकार्पण व पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे।

आत्मरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

झुंझुनूं, (निसं)। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनूं व योगी स्टेडियम झुंझुनूं के संयुक्त तत्वावधान में प्रिंस इंटरनेशनल स्कूल झुंझुनूं में हर घर बेटी हो सुरक्षित अभियान के तहत बालिकाओ के लिए एक आत्मरक्षा प्रशिक्षण का आयोजन किया जाकर आत्मरक्षा के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

योगी स्टेडियम की ओर से बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया तथा उन्होंने बताया कि बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि यह उन्हें खतरनाक स्थितियों से निपटने में मदद करती है और उन्हें आत्मविश्वास से भर देती है। यह भी बताया गया कि आत्मरक्षा सीखने से बालिकाएं अपने आप को सुरक्षित रख सकती हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकती है। आत्मरक्षा से बालिकाएं आत्मनिर्भर होती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनूं की ओर से असिस्टेंट एलएडीसीएस विक्रम सिंह रोहिला द्वारा उपस्थित बच्चों को रालसा व नालसा द्वारा संचालित विभिन्न कानूनी योजनाओं तथा बालको के कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी तथा बालिकाओं को गुड टच बैड टच के बारे में समझाया।

साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि समाज में होने वाले भेदभाव, बाल विवाह जैसे जघन्य अपराध के दुष्प्रभावों, घरेलू हिंसा, महिलाओं के यौन उत्पीडन के खिलाफ कानूनी जानकारी दी। असिस्टेंट एलएडीसीएस विक्रम सिंह रोहिला ने विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए विशेष कानूनी अधिकारों के बारे में बताकर नालसा हेल्पलाइन 15100 के बारे में जानकारी दी तथा निःशुल्क विधिक कानूनी सहायता के बारे में जागरूक किया।

शहरी सेवा शिविर में जनसमस्याओं का अंबार लगा

सुजानगढ़ (कासं)। नया बास क्लब में वार्ड नं.23, 24, 25 के लिए शहरी शिविर आयोजित हुआ। आयुक्त मघराज डूडी ने बताया कि शिविर में पट्टा पत्रावली व ०1, नाम हस्तान्तरण पत्रावली एक आवेदन प्राप्त हुआ। मौके पर ०1 नाम हस्तान्तरण पत्रावली का निस्तारण किया गया। यू.डी. टैक्स के लिए ०2 आवेदन, एनएफएस के.ई.केवाईसी 37, घर-घर कचरा संग्रहण शिकायत ०9, जीवीपी. ०7, सीवर कनेक्शन ०4, रोड मरम्मत ०2, नाली मरम्मत ०1, निराश्रित पशु पकडने से संबंधित सूचना ०3, जन्म-मृत्यु व विवाह पंजीयन पत्र 32, ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाण पत्र ०3, जनआधर संशोधन व अद्यतन 18 के प्रकरण प्राप्त हुऐ जिनको मौके पर निस्तारित किये गये। प्रधानमंत्री स्वनिधि 25 प्रकरण प्राप्त हुए। इसी प्रकार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को पेयजल पाईप लाईन लिकेज की समस्या बतायी गयी। जिसको मौके पर निस्तारण किया गया। महिला बाल विकास विभाग को प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना के अन्तर्गत ०4 प्रकरण प्राप्त हुए एवं विभागीय योजनाओं की जानकारी से 238 व्यक्तियों को अवगत करवाया गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 12 प्रकरण प्राप्त हुऐ जिनको माके पर निस्तारण किया गया। विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत चिकित्सा शिविर में उपस्थित कुल उपचारित व्यक्ति 4०3, एन.सी.डी. 352 प्रकरण प्राप्त हुऐ जिनको मौके पर निस्तारण किया गया। आयुर्वेद विभाग चूरू के अन्तर्गत 153 रोगियों ने चिकित्सक से परामर्श लिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत ०3 प्रकरण प्राप्त हुऐ। उक्त शिविर में पार्षद रिछपाल बिजारणियां, राकेश प्रजापत, पार्षद ईदरीश गौरी, पार्षद पंकज घासोलिया, पार्षद प्रतिनिधि रविन्द्र पाण्डे, गणेश मंडावरिया, पन्नालाल सोनी ने उपस्थित होकर आमजन को शिविर का अधिक से अधिक लाभ लेने हेतु प्रेरित किया। इस मौके पर शिविर प्रभारी उदय सिंह, सहायक अभियंता सुश्री चारवी, सहायक अग्निशमन अधिकारी रूप सिंह व नगर परिषद सहित अन्य विभागों के कार्मिक उपस्थित रहे।

वार्षिक अधिवेशन आज

चूरू (निसं)। कला संस्कृति और सिनेमा का संगम रतननगर में देखने को मिलेगा जहां साहित्य कला फिल्म्स राजस्थान के तत्वावधान में संस्था का 46वां वार्षिक अधिवेशन और राजस्थानी फिल्म 'बाई विमला रो ब्याव' का प्रीमियर शो बुधवार 15 अक्टूबर को आयोजित होगा। यह आयोजन शाम 6:30 बजे से गांधी बाल विद्या मंदिर रतननगर में आयोजित होगा। इस अवसर पर विविध सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुतियां होंगी। आयोजन में फिल्म, समाज और साहित्य से जुडी कई नामचीन हस्तियां शिरकत करेंगी। मुख्य अतिथि भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल होंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवां करेंगे। वीणा कैसेट्स जयपुर के चेयरमैन केशरीचंद मालू, सीबीआई न्यायाधीश रामावतार सोनी, राजस्थान गौड महासभा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार हरितवाल आदि होंगे।

कार्यालय नगरपालिका मण्डल रावतसर जिला हनुमानगढ़ (राज)

क्रमांक - एफ.14/सामान्य/न.पा.रा./2025/ दिनांकः 02.09.2025

आपति सूचना

सर्वसाधारण को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ सूचित किया जाता है कि श्री कुलदीप कुमार, श्री संतोष कुमार मोठसरा पुत्र श्री हेतराम जाति जाट निवासी वार्ड न 13 रावतसर ने प्रार्थना पत्र पेश कर अपने खरीदशुदा व्यवसायिक भूखण्ड सं. 36 (ए) सेक्टर धान मण्डी साईज 15×60 फुट का नामान्तरण पालिका रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहते है। उक्त भूखण्ड का पटटा श्री सुगनचन्द, मोहनलाल पुत्र श्री रुघलाल के नाम से श्रीमान अतिरिक्त कलेक्टर एवं सचिव मण्डी विकास समिति हनुमानगढ द्वारा दिनांक 08.08.1986 को जारीशुदा है। उक्त भूखण्ड का नामान्तरण पालिका आदेश क्रमाक 3402 दिनाक 17.10.2012 को श्री सुशील कुमार, श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री सुगनचन्द के नाम से साईज 15×60 फुट का जारीशुदा है। श्री सुशील कुमार, श्री लक्ष्मीनारायण ने जरिये उपंपजीयक से पंजीकृत बैयनामा दिनाक 03.07.2024 को उक्त भूखण्ड श्री कुलदीप कुमार, श्री संतोष कुमार मोठसरा पुत्र श्री हेतराम को बेचान कर दिया।अतः अपने खरीदशुदा भूखण्ड का नामान्तरण प्रार्थी पालिका रिकॉर्ड में अपने नाम से दर्ज करवाना चाहते है। किसी व्यक्ति को कोई आपति हो तो उक्त सूचना प्रकाशन होने की तिथि के 07 दिवस में सूचित करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद कोई उजरदावा मान्य नही होगा। सूचित रहे।

अधिशाषी अधिकारी,नगरपालिका रावतसर

कार्यालय नगरपालिका मण्डल रावतसर जिला हनुमानगढ़ (राज)

क्रमांक - एफ.14/सामान्य/न.पा.रा./2025/ दिनांकः 26.09.2025

आपति सूचना

सर्वसाधारण को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ सूचित किया जाता है कि श्री हेतराम पुत्र श्री हरिराम जाति जाट निवासी वार्ड न 13 रावतसर ने प्रार्थना पत्र पेश कर अपने खरीदशुदा व्यवसायिक भूखण्ड सं. 119 सेक्टर बस स्टेण्ड साईज 20×40 फुट का नामान्तरण पालिका रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहता है। उक्त भूखण्ड का पटटा श्री रामस्वरूप, कृष्ण, सुभाष पुत्र श्री मंगतुराम के नाम से नगर पालिका रावतसर द्वारा दिनाक 22.09.2009 को जारीशुदा है। उक्त भूखण्ड का नामान्तरण पालिका आदेश क्रमाक 7555 दिनाक 04.03.2021 को श्रीमती इन्द्रा पत्नी श्री गिरधारी लाल सोनी के नाम से जारीशुदा है। श्रीमती इन्द्रा ने जरिये उपंपजीयक से पंजीकृत बैयनामा दिनाक 12.07.2024 को उक्त भूखण्ड श्री हेतराम पुत्र श्री हरिराम को बेचान कर दिया। अतः अपने खरीदशुदा भूखण्ड का नामान्तरण प्रार्थी पालिका रिकॉर्ड में अपने नाम से दर्ज करवाना चाहता है। किसी व्यक्ति को कोई आपति हो तो उक्त सूचना प्रकाशन होने की तिथि के 07 दिवस में सूचित करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद कोई उजरदावा मान्य नही होगा। सूचित रहे।

अधिशाषी अधिकारी,नगरपालिका रावतसर

प्रारूप-10 (नियम 6 (7) देखिए)

कार्यालय नगरपरिषद, सीकर

S. No. :- F.(11)/90A /2025-26/ Date: As per signed

लोक सूचना

आवेदकगण 1. अनु कंस्ट्रक्शन कम्पनी, वार्ड नं. 8, बालाजी विहार, पालवास रोड, सीकर जरिये श्रीमति अनुप्रिया भामू पत्नी श्री प्रशांत भामू, वार्ड न. 03, जगमालपुरा, सीकर 2. मैसर्स के.टी.सी. इन्फ्राटेक जरिये भागीदार श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री नोलाराम, निवासी कुल्हरी की ढाणी, मुण्डवाड़ा, सीकर 3. श्री श्रवण कुमार खरिंटा पुत्र श्री भागीरथमल, निवासी रूल्याणी, तहसील लक्ष्मणगढ़, सीकर 4. श्री शीशराम रणवां पुत्र श्री हरिराम रणवां निवासी भारतीय स्कूल, चौधरी चरण सिंह नगर, नवलगढ़ रोड, सीकर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषिक अर्थात आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात

जिले सहित तहसील का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल
जिला सीकर तहसील सीकर ग्रामीण	चन्दपुरा	722	रकबा 2.0900 हैक्टेयर में से रकबा 0.8440 हैक्टेयर
		723	रकबा 2.3200 हैक्टेयर में से 1.1510 हैक्टेयर
		कुल रकबा	1.9950 हैक्टेयर अर्थात 19950 वर्गमीटर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है, कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन जारी की जाती है।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद, सीकर

स्नेह मिलन समारोह 25 को

पाटन (निसं)। राजस्थान अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी संघ, सीकर की ओर से नवपदस्थापित सूचना सहायकों एवं सहायक प्रोग्रामर के पद पर पदोन्नत साथियों के सम्मान के साथ दिवाली स्नेह मिलन समारोह 25 अक्टूबर (शनिवार) को आयोजित किया जाएगा।कार्यक्रम की तैयारी को लेकर सोमवार को पंचायत समिति नीमकाथाना के वीसी रूम में बैठक आयोजित की गई। बैठक में ब्लॉक में पदस्थापित सूचना सहायक, सहायक प्रोग्रामर और प्रोग्रामरों ने भाग लिया।बैठक में आईटी यूनियन सीकर के जिला अध्यक्ष राकेश थालौड़ के साथ नरेंद्र, महावीर बुरड़क, प्रभात और धमेन्द्र ने उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 25 अक्टूबर को जिला स्तर पर होने वाले इस आयोजन में सभी नव नियुक्त और पदोन्नत साथियों का सम्मान किया जाएगा।बैठक में प्रोग्रामर गुलाबचंद कुमावत, सहायक प्रोग्रामर कमल मीणा, सूचना सहायक अशोक महरानिया (ब्लॉक अध्यक्ष), सुरेश गुर्जर सभी सदस्य उपस्थित रहे।

'रेल यात्रा के दौरान पटाखे, विस्फोटक या कोई भी ज्वलनशील वस्तुएं लेकर यात्रा न करें'

- नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना या कैद अथवा दोनों का है प्रावधान
- उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी शशि किरण जानकारी दी
- यात्री संरक्षा को सुदृढ बनाने के लिए रेलवे द्वारा निरन्तर मॉनिटरिंग की जा रही है

सादुलपुर, (निसं)। रेलवे द्वारा दीपावली पर यात्रियों द्वारा ट्रेनों में पटाखे, विस्फोटक अथवा कोई भी ज्वलनशील वस्तु लेकर यात्रा करने पर सख्त कार्यवाही की जा रही है।

मंगलवार दोपहर सवा 12बजे दी जानकारी के अनुसार उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार रेलवे संरक्षित और सुगम रेल संचालन के लिए प्रतिबद्ध है और यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

यात्री संरक्षा को सुदृढ बनाने के लिए रेलवे द्वारा निरन्तर मॉनिटरिंग की जा रही है। दीपावली के त्यौहार पर अक्सर देखा जाता है कि यात्री ज्वलनशील पदार्थ जैसे पटाखे, पेट्रोलियम पदार्थ, गैस सिलेण्डर, केरोसिन, माचिस, स्टोव, लाइटर, सूखी झाडिया और पत्ते इत्यादि लेकर सफर करते है जोकि रेल यात्रा के दौरान प्रतिबंधित है और यह सब खतरनाक है और यात्रियों की संरक्षा को प्रभावित करता है। एक छोटी चिंगारी भी विकराल रूप ले सकती है और जानमाल को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। रेलवे ने सभी ट्रेनों के डिब्बों में ज्वलनशील वस्तुओं के साथ यात्रा नहीं करने की चेतावनी के स्टीकर लगाए है जिनपर नियमों के उल्लंघन पर निर्धारित सजा के प्रावधानों का उल्लेख भी किया गया है।

रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 67, 164 और 165 के अनुसार, रेल यात्रा के दौरान ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री ले जाना एक दंडनीय अपराध है, अगर यात्री ऐसा करते पाए गए तो 1000 तक का जुर्माना या तीन साल तक की कैद या दोनों का प्रावधान है। रेलवे का प्रयास है कि सभी यात्रियों की यात्रा आसान और सुखद हो तथा वो अपने गंतव्य तक सकुशल पहुंचे, यह रेलवे की कामना है।

रेलवे सभी यात्रियों से अनुरोध करता है कि वे किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन, स्टोव, माचिस, सिगरेट लाइटर और पटाखों सहित किसी भी विस्फोटक पदार्थ को साथ लेकर रेल यात्रा न करें।

उत्तर पश्चिम रेलवे

रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REDD.NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.आर.जे.-अ.-11102025-266862
CG-RJ-E-11102025-266862

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II- खण्ड 3 - उप खण्ड (ii)
PART II-Section 3 - Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 4509] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 10, 2025/आश्विन 18, 1947
No.4509] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 10, 2025/ASVINA 18 , 1947

रेल मंत्रालय
[उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण)]
अधिसूचना
जयपुर, 10 अक्टूबर ,2025

का.आ. 4638(अ)-केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, उक्त भूमि जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, राजस्थान राज्य के चूरू जिला में **"चूरू - सादुलपुर दोहरीकरण (57.82 किमी) की विशेष रेल परियोजना"** निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबन्धन और परिचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है:

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर उक्त अधिनियम की धारा - 20घकी उपधारा (1) के तहत उपरोक्त उद्देश्य के लिये ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के सम्बंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आदेश सक्षम अधिकारी अर्थात सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी/ उपखण्ड मजिस्ट्रेट - राजगढ़ जिला चूरू राजस्थान को लिखित में किया जायेगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम अधिकारी अपेक्षा कर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जाँच यदि कोई है जिसे सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे करने के पश्चात आदेश द्वारा या तो आक्षेप का अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ।

उक्त अधिनियम की धारा-20 घ की उपधारा (2) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा ।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम अधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकेगा।

सारणी

राजस्थान राज्य चूरू-सादुलपुर दोहरीकरण की विशेष रेल परियोजना हेतु (राजगढ़ उपखण्ड के लिये) अधिग्रहण की जाने वाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम. सं.	उपखण्ड/ तहसील का नाम	गाँव का नाम	सर्वे/ खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	अवाप्ति की जाने वाली भूमि (क्षेत्रफल हैक्टेयर में)
1.	राजगढ़	रतनपुरा	547	निजी	बारानी चतुर्थ	2.5300	0.0600 है.

[फा.सं. उपरे/मुख्यालय/एस एण्ड सी/443599200 भाग-20]
राजीव श्रीवास्तव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/(निर्माण)

1319-DR/25

हमें /NWRailways NWRailways_पर फॉलो करें

मेड़तनी बावड़ी के जीर्णोद्धार और विकास के लिए कार्य होगा

झुंझुनूं (निसं)। शहर की प्राचीन और ऐतिहासिक के साथ-साथ जल संरक्षण के लिए मिसाल के रूप में पहचाने जाने वाली मेडतनी बावडी का जीर्णोद्धार और विकास इस बार व्यवस्थित रूप से होगा। ताकि ना केवल इसे जल संरक्षण के लिए रूप में आने वाली पीढी जान-समझ सके। बल्कि इसका हेरिटेज होने का फायदा भी पर्यटन के लिहाज से शहर में मिल सके।

मेडतनी बावडी के जीर्णोद्धार के लिए लगातार शेखावाटी फाउंडेशन प्रयास कर रहा था। गत दिनों शेखावाटी फाउंडेशन के स्थापना व शपथ ग्रहण समारोह में भी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे जिला कलेक्टर डॉ. अरूण गर्ग ने इसे लेकर जल्द ही कदम उठाने के लिए आश्वस्त किया था। जिसके बाद अब इसके सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद जगी है।

दरअसल सरकार मेड़तनी बावडी के जीर्णोद्धार के लिए पैसा खर्च करने वाली है। लेकिन इस बार जीर्णोद्धार और विकास के लिए जो राशि खर्च की जाए उसका सदुपयोग सालों तक महसूस किया जा सके इसके लिए डीपीआर तैयार की जाएगी। जिला कलेक्टर डॉ. गर्ग के आग्रह पर जल संरक्षण और ऐतिहासिक धरोहरों के संर्वधन और संरक्षण के लिए काम करने वाले एक एनजीओ से इसकी डीपीआर तैयार करवाने के लिए कदम बढाया है। डीपीआर के लिए एनजीओ पूरी तरह से निःशुल्क सेवा देगा।

लेकिन जो सर्वे होगा। उसके लिए अलग-अलग सर्वेयरों पर करीब पांच लाख रूपए का खर्चा आएगा। इसके लिए शेखावाटी फाउंडेशन के कॉर्डिनेटर डॉ. डीएन तुलस्यान की प्रेरणा से लहर फाउंडेशन जयपुर आगे आया है। जिन्होंने पांच लाख रूपए की राशि फाउंडेशन के तहत देने की ना केवल स्वीकृति दी है। बल्कि एनजीओ को इस राशि का चैक सौंपा है। कलेक्टर डॉ. गर्ग का इस मौके पर कार्यालय में आभार जताया गया।

डॉ. गर्ग ने कहा कि जल्द ही डीपीआर तैयार कर इस मेडतनी बावडी को फिर से भव्य और आकर्षक बनाकर जिला मुख्यालय का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाया जाएगा।

इस मौके पर इस कार्य के लिए लहर फाउंडेशन की मदद दिलवाने के लिए कलेक्टर डॉ. अरूण गर्ग ने डॉ. डीएन तुलस्यान का आभार जताया। कार्यालय में आभार जताने और एनजीओ को चैक देने लहर फाउंडेशन के राजकुमार अग्रवाल, शेखावाटी फाउंडेशन के कॉर्डिनेटर डॉ. डीएन तुलस्यान, संरक्षक एडवोकेट श्रवण केजडीवाल, श्रीश्याम आशीर्वाद सेवा संस्थान के ट्रस्टी परमेश्वर हलवाई व कैलाशचंद्र अग्रवाल मौजूद थे। लहर फाउंडेशन और जिला कलेक्टर का शेखावाटी फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष डॉ. दिलीप मोदी, महासचिव दीपेंद्र बुडानिया, कोषाध्यक्ष विकास खटोड तथा अन्य गणमान्य जन ने आभार जताया है।

शिविर में आमजन लाभांवित

सीकर, (निसं)। राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत सीकर जिले के खाटूश्यामजी कस्बे में 17 सितम्बर से जारी शहरी सेवा शिविर में आमजन बड़ी संख्या में लाभांवित हो रहे हैं। नगर पालिका के सभा भवन में आयोजित इस शिविर में नगर क्षेत्र की विभिन्न जनसमस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। शिविर प्रभारी कनिष्ठ अभियंता संदीप गहलोत सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहकर आमजन की समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं। अब तक एक हजार से अधिक प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है।

कार्यालय नगरपालिका रतननगर (चूरू)

क्रमांक : न.पा./रतननगर/ भूमि शाखा/2025-26/1912 दिनांक : 09.10.2025

सार्वजनिक विज्ञप्ति (आपति आमन्त्रण-पत्र)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न लिखित आवेदकगण द्वारा निम्नांकित विवरण-पत्र में अपने नाम के सम्मुख अंकित कार्यो की स्वीकृति हेतु इस कार्यालय को अपना आवेदन प्रस्तुत किया गया है, अतः इस संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारक को कोई आपति हो तो उक्त सार्वजनिक विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के भीतर उपर्युक्त साक्ष्य सहित अपनी लिखित आपति निम्न अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। बाद मियाद गुजरने पर प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण संबंधित आवेदकगण के पक्ष में कर दिया जावेगा :-

क्र. सं.	पत्रावली क्रमांक	नाम आवेदक/आवेदिका	आवेदित भूमि की अवस्थिति	भूखण्ड का क्षेत्रफल	खसरा नं.	प्लाट संख्या	अपेक्षित स्वीकृति
1	2	3	4	5	6	7	8
1		श्री सुरेश कुमार भार्गव/विनोद कुमार भार्गव	वार्ड नं. 10, रतननगर	297.40 वर्गमीटर	1196/842	-	कृषि भूमि नियमन

राज.संवाद/सी/25/12104 अधिशाषी अधिकारी